



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

## प्रेस नोट

दिनांक-21.02.2025

विषय:- “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 60,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा ।

थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0196/2018 धारा 363,366,376-D भा0द0वि0 व 5G/6 पॉक्सो एक्ट, मु.नं.-058/19 से सम्बन्धित अभियुक्त 1- जयशंकर सेठ उर्फ राज सेठ पुत्र विजय सेठ निवासी- भिटारी, थाना लोहता, जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 21.02.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-07/विशेष पॉक्सो-III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त जयशंकर सेठ उर्फ राज सेठ उपरोक्त को धारा 363 भा0द0वि0 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 366 भा0द0वि0 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 5G/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी